प्रेस नोट दिनांक 20.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल कासतूस के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, साथ ही उसके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल 30 बोर कन्ट्री मेड व 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 30 बोर व 01 अदद स्कॉर्पियो चार पहिया गाड़ी बरामद किया गया-
लूट व चैन स्नेचिंग की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता, अभियुक्त गिरफ्तार-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ एवं जनपद जौनपुर में हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित कुल लगभग 11 जघन्य आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त का घर ग्राम अकारीपुर तिवरान के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लूट, चैन स्नेचिंग के सत्यापन एवं धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों का सघन सत्यापन एवं चेकिंग की गई थी। इस दौरान प्राप्त सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 योगेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सैफाबाद मय हमराह उ0नि0 कृष्णानन्द श्रीवास्तव, का0 नरेन्द्र राम का० गौतम मौर्या मय चालक का0 प्रतीक

कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त राजेश तिवारी उर्फ जज्जे तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी निवासी अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अकारीपुर तिवरान में उसके घर के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल 30 बोर कन्ट्री मेड व 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 30 बोर व 01 अदद स्कॉर्पियो चार पहिया गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल 30 बोर कन्ट्री मेड व 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 30 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 14/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद 01 अदद स्कॉर्पियो चार पहिया गाड़ी को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे ऊपर काफी मुकदमे है तथा मेरी दुश्मनी काफी लोगो से है जिस वजह से मै अपने सुरक्षा हेतु अवैध पिस्टल व कारतूस अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अन्तर्जनपदीय राजेश तिवारी उर्फ जज्जे तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी निवासी अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अन्तर्जनपदीय राजेश तिवारी उर्फ जज्जे तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी निवासी अकारीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 322/09 धारा 302 भा0द0वि0 थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।
02 . मु0अ0सं0 415/17 धारा 307/504 भा0द0वि0 थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 156/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 523/17 धारा 393/307/120-बी भा0द0वि0 थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर।

05. मु0अ0सं0 526/17 धारा 147/148/307 भा0द0वि0 थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर।

06. मु0अ0सं0 729/17 धारा 394/411/120-बी भा0द0वि0 थाना बक्सा, जनपद जौनपुर।

07. मु0अ0सं0 490/17 धारा 392/120-बी भा0द0वि0 थाना बक्सा, जनपद जौनपुर।

08. मु0अ0सं0 922/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बक्सा, जनपद जौनपुर।

09. मु0अ0सं0 18/21 धारा 392/120-बी/34 भा0द0वि0 थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

10. मु0अ0सं0 156/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

11. मु0अ0सं0 14/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद अवैध पिस्टल 30 बोर कन्ट्री मेड व 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 30 बोर व 01 अदद स्कॉर्पियो चार पहिया गाड़ी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 योगेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सैफाबाद मय हमराह उ0नि0 कृष्णानन्द श्रीवास्तव, का0 नरेन्द्र राम का० गौतम मौर्या मय चालक का0 प्रतीक कुमार थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना महेशगंज पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

इस क्रम में पुलिस टीम उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह मय हमराह का0 राहुल एवं म0का0 नीतू शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र में वाहन चेकिंग एवं भ्रमण के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/26 धारा 190/115(2)/352/351(3)/191(2) बीएनएस एवं 7 सीएलए एक्ट से संबंधित प्रकरण में 03 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म/पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 कुंदन शर्मा, का0 सुरजीत द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा- 70(2)/352 बीएनएस व 5जी /6 पाक्सो एक्ट व 67ख आइटी एक्ट थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त एहसान उर्फ उवैद पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम कोडरा मादुपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को 01 अदद मोबाइल फोन के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. एहसान उर्फ उवैद पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी ग्राम कोडरा मादुपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष ।

बरामदगी-
01 अदद मोबाइल फोन

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 कुंदन शर्मा, का0 सुरजीत थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह का0 शशांक राय द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय श्रीमान जिला जज प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रायबरेली अन्तर्गत धारा 144 (3) बीएनएसएस से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त अख्तर अली पुत्र इदारत अली निवासी ग्राम कर्माजीतपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 37 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत हीरागंज मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.अख्तर अली पुत्र इदारत अली निवासी ग्राम कर्माजीतपट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 37 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह का0 शशांक राय थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।